

FORM - III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी (राजस्व), श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

दलीप कुमार आदि बनाम अनुराधा आदि

किस्म मुकदमा 148 ए सी.पी.सी नम्बर 12 सन् 2021

2021/188

तामिल
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व
तारीख अहकाम
जो इस हुकम
की तामील में
जारी हुए

04.08.2021

प्रार्थीगण दलीप कुमार पुत्र जैमल राम जाति जाट निवासी 36 एच नगरी तहसील श्रीकरणपुर आदि की ओर से अधिवक्ता श्री इन्द्रजीत सिंह के द्वारा कैंवियट प्रार्थना पत्र पेश किया। प्रार्थना पत्र में निवेदन किया कि चक 37 एच की जमाबन्दी सम्बत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 07/37 के मु. न. 12 की कुल 2898 हैक्टर नहरी भूमि के सम्बन्ध में यदि अप्रार्थीगण या अन्य किसी भी काश्तकार द्वारा कोई वाद, स्थगन प्रार्थना पत्र या अन्य कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाता है। तो सुनवाई से पूर्व प्रार्थी को सूचित किया जाकर, सुनवाई का अवसर प्रदान किए जाने के पश्चात ही कोई निर्णय पारित किया जावे। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। अप्रार्थीगण को जरिए पंजीकृत डाक से तलब किया जावे। इस सम्बन्ध में कोई दावा या स्थगन प्रार्थना पत्र पेश होने पर पत्रावली पेश हो तब तक पत्रावली नियमानुसार सुरक्षित रखी जावे।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

16/11/21

अज पह पत्रावली प्रशासन गांवी के संग अधिधान- 2021, ग्राम पंचायत 6 वीं चबूतर में पेश हुई। प्रार्थीगण के द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तगत 148(क) CPC को पेश किए 90 दिवस से अधिक का समय हो चुका है। अब इस पत्रावली में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। पत्रावली इसी स्तर पर खारिज की जाती है। पत्रावली विणीति होकर नम्बर से कम होकर वायिल दफ्तर हो



उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर